



प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

दिनांक-18.04.2024

जनपद अम्बेडकरनगर थाना राजेसुल्तानपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 95/2024 धारा 3(1)उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 में वांछित अभियुक्त अभिषेक राय पुत्र शिवराम राय को किया गया गिरफ्तार।

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस टीम द्वारा अपराध अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजेसुल्तानपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.04.2024 को मुखविर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 95/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अभिषेक राय पुत्र शिवराम राय निवासी ग्राम सैथुआ थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर को समय करीब 09.45 बजे देवलर बाजार से गिरफ्तार किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अभियुक्त अभिषेक राय पुत्र शिवराम राय उम्र करीब 22 वर्ष नि0ग्राम सैथुआ थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

विवरण अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 251/21 धारा 392/411 भादवि राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
2. मु0अ0सं0-252/21, धारा-379/411 भादवि, थाना-राजेसुल्तानपुर, जनपद- अम्बेडकरनगर।
3. मु0अ0सं0- 254/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
4. मु0अ0सं0 95/24 धारा 3(1) यूपी गैंगे0 एक्ट थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री जंगेश हुसैन थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
हे0का0 रामजीत यादव थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
का0 रामईश्वर यादव थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
का0 राहुल सिंह थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर।